मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

(क्रमांक 25 सन् 1972)

तथा

उसके अधीन निर्मित नियम

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972

क्रमांक 25 सन् 1972

तथा

उसके अधीन निर्मित नियम

(19 सन् 2010 तक यथासंशोधित)

विषय सूची

1. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वाहनों का क्रय तथा अनुरंक्षण नियम,1974

3. मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972

4. Madhya Pradesh Ministers (Residence) Rules 1964

5. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 क्रमांक 25 सन् 1972 में समय समय पर आये संशोधनों का सार

6. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, (25 सन् 1972) की धाराओं में आये संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 25 सन् 1972

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972

विषय सूची

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम.

2. परिभाषा.

3. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन.

4. मंत्रियों आदि को सत्कार भत्ता.

5. मंत्रियों आदि का निवास स्थान.

6. मंत्रियों आदि के लिये वाहन.

7. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि.

8. किसी वृत्ति के करने सदस्य के रुप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध.

9. मंत्रियों आदि के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता.

9-क. भत्तों तथा परिलब्धियों में से आयकर नहीं लिया जायेगा.

10. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा संसदीय सचिवों की नियुक्ति आदि से संविधान अधिसूचना उनकी नियुक्ति आदि का निश्चायक साक्ष्य होगी.

11. नियम बनाने की शक्ति.

12. धारा 9 (3) के उपबंधों का भूतलक्षी प्रभाव.

13. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 25 सन् 1972

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972

दिनांक 14 अगस्त 1972 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 22 अगस्त 1972 को प्रथम बार प्रकाशित की गई. मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के लिये उपबंध करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो --

1. यह अधिनियम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 कहा जा सकेगा.		संक्षिप्त नाम

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, "मंत्री" के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री" आता है.		परिभाषा

**3. मुख्यमंत्री को तीस हजार रूपये, प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रूपये, राज्य मंत्री को पच्चीस हजार रूपये, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को बीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.		मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा संसदी सचिवों के वेतन

* " 4. (1) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को अठारह हजार रूपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जायेगा।		मंत्रियों आदि को सत्कार भत्ता

(2) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को सत्रह हजार रूपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा।

(3) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर सात सौ पचास रूपये तथा राज्य के बाहर नौ सौ रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

5.(1) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री उपमंत्री और संसदीय सचिव भोपाल में, अपने पद की पूरी अवधि भर और उसके अव्यवहित पश्चात एक मास की कालावधि तक, किराये का भुगतान किये बिना, सुसज्जित निवास स्थान के उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के अनुरंक्षण की बावत् मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री या संसदीय सचिव को वैयक्तिक रुप से कोई प्रभार नहीं देना पड़ेगा.		मंत्रियों आदि का निवास स्थान

स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिये "निवास स्थान" में उससे अनुलग्न कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य भवन एवं उसका उद्यान सम्मिलित है और इसी निवास स्थान से संबंधित "अनुरंक्षण" में स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत एवं जल की व्यवस्था सम्मिलित है.

(2) यदि कोई मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री या संसदीय सचिव उपधारा (1) का फायदा न उठाये तो वह उसके बदले में उतना गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि धारा तीन के अधीन उसे देय वेतन के बीस प्रतिशत के बराबर हो.

(3) उपधारा (1) के अधीन भोपाल में निशुल्क सुसज्जित निवास स्थान के अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री उपमंत्री तथा संसदीय सचिव किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार समय समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मंत्री, राज्यमंत्री उपमंत्री या संसदीय सचिव के शासकीय निवास का स्थान घोषित करें सुसज्जित निवास स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उस समय तक के लिये जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहे उपयोग करने का भी हकदार होगा.

(4) यथा स्थिति किसी मंत्री किसी राज्यमंत्री किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को उपधारा (1) के अधीन दिये गये निवास स्थान को सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय निम्नलिखित आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा :-

मंत्री --	पैतीस हजार रूपये
राज्यमंत्री --	पच्चीस हजार रूपये
उप मंत्री --	बीस हजार रुपये
संसदीय सचिव--	पन्द्रह हजार रुपये.

*अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2001 द्वारा अन्त:स्थापित.

**अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2008 द्वारा स्थापित.

(5) निवास स्थान एवं उद्यान के, जिनके लिये कि उपधारा (1) के अधीन उपबंध किया गया है, समारंक्षण वार्षिक मरम्मतों तथा अनुरंक्षण के बारे में किया जाने वाला वार्षिक व्यय ऐसी आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियम द्वारा अधिकथित की जाये.

6.(1) प्रत्येक मंत्री को प्रत्येक राज्यमंत्री को प्रत्येक उपमंत्री को तथा प्रत्येक संसदीय सचिव को उसके उपयोग के लिये एक एक उपयुक्त मोटर यान दिया जायेगा जिसका क्रय तथा अनुरंक्षण उन नियमों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाये जाये, सरकारी व्यय से किया जायेगा.		मंत्रियों आदि के लिए वाहन

(2) राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक मोटरयान के लिये सरकारी व्यय से **दो मोटर चालक (शोफर) की भी व्यवस्था करेंगी और प्रत्येक मोटरयान के लिये ऐसे प्रत्येक मोटरयान द्वारा की गई यात्राओं (जो उन यात्राओं से भिन्न हो जिनके लिये की यात्रा भत्ता अनुज्ञेय है) के लिये उपयुक्त मोटर ईधन का भी प्रदाय करेंगी जो मंत्री को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ पचास लीटर, राज्य मंत्री को दिये गये मोटर यान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ लीटर, उप मंत्री को दिये गये मोटर यान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक दो सौ पचहत्तर लीटर, और संसदीय सचिव को दिये गये मोटर यान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक दो सौ पचास लीटर होगा.

*7.(1) कोई भी मंत्री कोई भी राज्यमंत्री, कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव और यथा स्थिति मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के कुटुंब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर, नशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुंब के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का सं. 61) के अधीन समय समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती है.		मंत्रियों, राज्यमंत्रियों, उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के लिये परिचर्या तथा उपचार आदि

(2) कोई भी मंत्री कोई भी राज्यमंत्री कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव, जब कि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी निशुल्क हकदार होगा जो उस स्थान पर भारत मिशन (इण्डिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो "

*अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2001 द्वारा अन्त :स्थापित.

8. कोई भी मंत्री कोई भी राज्यमंत्री कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव		किसी वृत्ति के करने सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध

(क) अपने पद की, जिसके लिये की वह वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता है अवधि के दौरान कोई वृत्ति नहीं करेगा या किसी व्यापार में नहीं लगेगा या मंत्री, राज्यमंत्री उपमंत्री या संसदीय सचिव के रुप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई नियोजन पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये ग्रहण नहीं करेगा ;और

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रुप में कोई वेतन या भत्ता प्राप्त करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा जबकि वह अपने पद के लिये वेतन तथा भत्ता प्राप्त करता हो.

9. (1) कोई भी मंत्री कोई भी राज्यमंत्री कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार, --		मंत्रियों आदि के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता

(क) (एक) पद ग्रहण करने के लिये, भोपाल के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से भोपाल तक की गई यात्रा के संबंध में ; और

(दो) पद मुक्त होने पर भोपाल से, भोपाल के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के संबंध में ;

अपने स्वंय के लिये तथा अपने कुटुंब के ऐसे सदस्यों के लिये जो उसपर आश्रित हो, और अपनी तथा अपने कुटुंब की चीज वस्तु के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता प्राप्त करने का ; और

**अधिानियम क्रमांक 17 सन् 1981 द्वारा शब्द "एक मोटर चालक " स्थान पर स्थापित.

*अधिनियम क्रमांक 45 सन् 1976 द्वारा स्थापित.

*अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1989 द्वारा अन्त :स्थापित.

(ख) उन दौरों के संबंध में जो कि उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा.

(2) इस धारा के अधीन किसी भी यात्रा भत्ते का नगद भुगतान किया जा सकेगा या उसके बदले में निशुल्क शासकीय परिवहन की व्यवस्था की जा सकेगी.

(3) कोई भी मंत्री कोई भी राज्यमंत्री कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये दौरों के लिये देय यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त इस बात का हकदार होगा कि जब वह ऐसे दौरों के दौरान विश्राम भवनों (सर्किट हाऊसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाऊसेज) में जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हों ठहरे तो उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में वास-सुविधा तथा विद्युत की व्यवस्था उस ठहरने की कालावधि के लिये निःशुल्क उपलब्ध रहें.

*"9-क. इस अधिनियम के अधीन किसी मंत्री किसी राज्यमंत्री किसी उपमंत्री तथा किसी संसदीय सचिव को देय समस्त भत्तों की बावत् और किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बावत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बावत् जो किसी मंत्री किसी राज्यमंत्री किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, यथा स्थिति किसी मंत्री किसी राज्यमंत्री किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव से आयकर नहीं लिया जायेगा और वह आयकर यथा स्थिति किसी किसी मंत्री किसी राज्यमंत्री किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. किसी मंत्री किसी राज्यमंत्री किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को देय उक्त भत्तों तथा परिलब्धियों से प्रोदभूत आय की कुल रकम में से, समय समय पर अनुज्ञेय आयकर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हो, घटाई नहीं जायेगी ".		**भत्तों तथा परिलब्धियों में से आय कर नही लिया जायगा.**

10. वह तारीख, जिसको की कोई व्यक्ति मंत्री, राज्यमंत्री उपमंत्री या संसदीय सचिव हो जायें अथवा मंत्री, राज्यमंत्री उपमंत्री या संसदीय सचिव न रह जाये राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी और कोई भी ऐसी अधिसूचना, इस तथ्य निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये मंत्री, राज्यमंत्री उपमंत्री या संसदीय सचिव हुआ था अथवा इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये मंत्री, राज्यमंत्री उपमंत्री या संसदीय सचिव नहीं रह गया था.		**मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना उनकी नियुक्ति आदि का निश्चायक साक्ष्य होगी**
11. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.		**नियम बनाने की शक्ति**

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखें जायेंगे.

12. धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंध 21 जनवरी सन् 1957 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.		धारा 9 (3) के उपबन्धों का भूतलक्षी प्रभाव

13. मध्यप्रदेश सेलरिज एण्ज अलाउन्सेस आफ मिनिस्टर एक्ट, 1956 (क्रमांक 5 सन् 1957) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है.		निरसन

*अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1997 द्वारा अन्त :स्थापित.

[मध्यप्रदेश "असाधारण राजपत्र " में शुक्रवार दिनांक 6 सितम्बर, 1974 को प्रकाशित]

मध्यप्रदेश मंत्री (वाहनों का क्रय तथा अनुरंक्षण) नियम 1974

नियम

1. ये नियम मध्यप्रदेश मंत्री (वाहनों का क्रय तथा अनुरंक्षण) नियम 1974 कहलायेंगे.

2. इन नियमों में :-

(क) "अधिनियम से तात्पर्य मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (25 सन् 1972) से है ;

(ख) "मंत्री" से अभिप्रेत है, मंत्री परिषद् का सदस्य तथा उसके अन्तर्गत राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव भी आते है.

3. राज्य शासन प्रत्येक मंत्री को उसके उपयोग के लिये एक मोटर गाड़ी की व्यवस्था करेगा.

* [ ]

गाड़ी की बनावट तथा मॉडल ऐसा होगा जैसा की राज्य शासन, प्रत्येक मामले में उपयुक्त समझे.

4. गाड़ी, उसके उपसाधनों (ऐसेसरीज) सहित राज्य शासन की सम्पत्ति रहेगी.

जब कोई मंत्री अपने पद त्याग दे, उसकी गाड़ी उप साधनों से राज्य शासन को या ऐसे पदाधिकारी को वापस कर दी जायेगी जिसे कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नाम निर्दिष्ट किया जाये.

5. कोई भी गाड़ी सामान्यतः तब तक नहीं बदली जायेगी जब तक की उसमें पांच वर्ष तक की सर्विस पूरी ना कर ली हो या बीस हार्स पावर के ऊपर की गाड़ी के मामले में, एक लाख बीस हजार किलो मीटर की कुल दूरी तथा बीस हार्स पॉवर से नीचे की गाड़ी के मामले में, अस्सी हजार किलो मीटर की कुल दूरी तय ना कर ली हो :

परन्तु यह कि ऐसी मोटर गाड़ी, जो पांच वर्ष की सर्विस पूरी कर लेने के पूर्व या ऊपर विर्निदिष्ट की गई कूल दूरी तय कर लेने के पूर्व किसी भी कारण से अनुपयुक्त हो जाये, शासकीय गाड़ियों के लिये शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् बदली जा सकेगी.

6. (1) गाड़ी के अनुरंक्षण तथा रख रखाव के व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किये जायेंगे.

टिप्पणी .-- गाड़ी के अनुरंक्षण तथा रख रखाव में सम्मिलित है मोटर चालक (शोफर) का वेतन, समस्त कारों को सम्मिलित करते हुए रजिस्ट्रीकरण करते हुए, बीमा, फीस, मरम्मत समस्त व्यय जिसके अन्तर्गत नियत कालिक सर्विसिंग आदि आते है. तथा टायर और ट्यूबों को सम्मिलित करते हुए घिसे भागों (पार्टस) का बदला जाना.

(2) प्रत्येक मास के प्रारंभ प्रत्येक मंत्री राज्य शासन द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी पदाधिकारी को यह कथित करते हुए एक प्रमाण पत्र अग्रेशित करेगा कि अधिनियम की धारा 6 के अधीन अनुज्ञात यात्राओं के उपयोग हेतु ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान उ सके द्वारा मोटर ईधन की कुल कितनी मात्रा क्रय की गई.

7. मध्यप्रदेश मिनिस्टर्स एण्ड डिप्टी मिनिस्टर्स (परचेज एण्ड मैनटेन्सेस आफ कन्वेन्सेज) रुल्स, 1957 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई कार्यवाही जब तक की की गई ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्ही भी उपबंधों से असंगत ना हो, इन नियमों के तत्स्थानी उ पबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स.ना.राव, विशेष सचिव.

*मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1775 /4774/एक(1)79,दिनांक 11 अगस्त 1980 द्वारा विलोपित किया गया.

[मध्यप्रदेश "असाधारण राजपत्र" में दिनांक 12 जनवरी, 1973 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल दिनांक 12 जनवरी, 1973--पौष 22, 1894

क्रमांक 347-8-एक(i)--मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (25 सन् 1972) की धारा 9 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, मंत्रियों के यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किये जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

नियम

1. ये नियम मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम 1972 कहलायेंगे.

2. परिभाषा.-- इन नियमों में "मंत्री" अभिप्रेत है, मंत्री परिषद् का सदस्य तथा उसके अन्तर्गत राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव आते है.

3. इन नियमों के अधीन यात्रा भत्ता ऐसी यात्राओं के लिये अनुज्ञेय होगा जो कि केवल लोकहित में की गई हो. इन यात्राओं को ऐसे कर्तव्यों के कारण आवश्यकता हो जिनका कि पालन मुख्यालय पर न किया जा सकता हो.

टिप्पणी .-- किसी ऐसे मंत्री द्वारा मुख्यालय से बाहर स्थित किसी स्थान पर, जहां कि वह केवल वैयक्तिक कारणों से गया हो, सामान्य कर्तव्यों का पालन करना यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार बनाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा.

4. (1) कोई मंत्री, जब की वह रेल द्वारा कर्तव्य पर यात्रा कर रहा रहा, कोई भुगतान किये बिना,--

(एक) उच्च शासकीय अध्यपेक्षा द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच में एक कूपे या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान (ए.सी. स्लीपर कोच) में दो वर्थ आरक्षित करवाने के लिये हकदार होगा.

(दो) आरक्षित स्थान की प्राधिकृत क्षमता के अध्यधीन रहते हुए, आरक्षित स्थान में एक नातेदार को साथ में ले जाने के लिय हकदार होगा. यह रियायत मंत्री द्वारा प्रथम वर्ग के डिब्बे में यात्रा करने पर भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) एक वैयक्तिक सेवक के लिये निम्नतम वर्ग की दर से तथा पांच क्वटल तक समभार, (लगेज) चाहे वह ट्रेन के लगेज वान में ले जाया गया हो या किसी अन्य ट्रेन द्वारा भेजा गया हो, ले जाने के लिये हकदार होगा.

खंड (तीन) में वर्णित से भिन्न माल या भण्डार के लिये भाड़े के प्रभारों की पूर्ति मंत्री द्वारा स्वंय की जायेगी.

जब खंड (एक) के अधीन यात्रा की जाये, तो मंत्री 'अ' ग्रेड पदाधिकारियों को अनुज्ञेय आनुषंगिक व्यय के लिये हकदार होगा तथा शासन द्वारा स्थान आरक्षण प्रभारों का भुगतान किया जायेगा;

परन्तु जहां कोई मंत्री उच्च शासकीय अध्यपेक्षा से भिन्न, साधारण प्रथम वर्ग के डिब्बे में वातानुकूलित कोच में केवल एक बर्थ लेकर यात्रा करें, वहां वह वास्तविक रुप से भुगतान किया गया भाड़ा तथा ऐसे आनुषंगिक व्यय, जो 'अ' पदाधिकारियों को अनुज्ञेय हो, प्राप्त कर सकेगा.

5. (1) कोई मंत्री जब की वह सड़क द्वारा कर्तव्य पर यात्रा कर रहा हो :-

(एक) जब कि यात्रा मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा (6) के अधीन उसे दी गई मोटर गाड़ी से की जाये, तो, नियम सात में विनिर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा. गाड़ी के चालन हेतु व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किये जायेंगे.

(दो) एक वैयक्तिक सेवक के लिये सड़क या रेल द्वारा प्रवहण के तथा पांच क्विटल तक वैयक्तिक संभार के वास्तिक व्यय की वसूली के लिये हकदार होगा.

(2) जब कोई मंत्री कर्तव्य पर किसी दूसरे राज्य शासन द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्र के भीतर सड़क द्वारा यात्रा करें तथा यात्रा किसी भाड़े के वाहन में की जाये, तो वह 32 पैसे प्रति कि.मी. की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

(3) यदि किसी कारणवश कोई मंत्री विभागीय मोटर गाड़ी का उपयोग करना लोक हित में आवश्यक समझे, तो वह नियम 7 में विनिर्दिष्ट दरों से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा तथा मोटर गाड़ी के चालन व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किये जाये जायेंगे.

6. अपवादात्मक परिस्थितियों में यदि कोई मंत्री लोक सेवा की अत्यावश्यकता में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल या सड़क द्वारा अपनी रिक्त मोटर गाड़ी भेजना आवश्यक समझे, तो वह रेल द्वारा मोटर गाड़ी भेजने पर उपगत वास्तविक व्यय या सड़क द्वारा वास्तविक रूप से भेजी गई दूरी के लिये रिक्त मोटर गाड़ी प्रेक्षपण के वास्तविक व्यय प्रभारित करने के लिये हकदार होगा.

*7.फण्डामेन्टल रूल्स जिल्द दो के परिशिष्ट पांच में अनुपूरक नियम 48 से 53 में दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, कोई भी मंत्री राज्य के भीतर प्रतिदिन **रुपये 51 (इक्कावन) का दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

परन्तु जब तक राज्य के बाहर दौरे पर हो, तो वह प्रतिदिन ***रूपये 60 (साठ) का दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

परन्तु यह और भी कि जब उसे राज्य के बाहर दौरे पर या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर राज्य अतिथि के रूप में माना जाय और परिदर्शित किये गये राज्य/संघ/या देश के सरकारी खर्च पर निशुल्क भोजन तथा वास सुविधा की व्यवस्था की जाय तो प्राप्त किया जाने वाला दैनिक भत्ता संबंधित स्थान पर उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के आधे भाग तक सीमित होगा.

8. जबकि मध्यप्रदेश फन्डामेन्टल रूल्स, जिल्द-दो के परिशिष्ट पांच के सप्लिमेण्टरी रूल 55 के अधीन अनुज्ञेय आधा दैनिक भत्ता प्राप्त करने की रियायत के लिये हकदार होगा.

9. कोई मंत्री मध्यप्रदेश फन्डामेन्टल रुल्स, जिल्द- दो के परिशिष्ट पांच के सप्लिमेण्टरी रूल 55-ए के अधीन अनुज्ञेय आधा दैनिक भत्ता प्राप्त करने की रियायत के लिये हकदार होगा.

10. (i)कोई मंत्री जबकि वह विमान द्वारा यात्रा कर रहा हो,--

(एक) उस मामले को छोड़कर जबकि ऐसी यात्रा वाणिज्यिक हवाई कम्पनी को लागू क्रेडिट व्हाउचर विनिमय आदेश पद्धति के अधीन की जाय, विमान यात्रा हेतु भुगतान किये वास्तविक भाड़े के लिये हकदार होगा. पश्चातवर्ती मामले में प्रभारों का भुगतान शासन द्वारा किया जायगा.

(दो) एक वैयक्तिक सेवक के लिये निम्नतम वर्ग द्वारा वास्तविक रेल भाड़े के लिये तथा 224 किलोग्राम तक वैयक्तिक संभार को रेल द्वारा नि:शुल्क ले जाने के लिये हकदार होगा :

परन्तु ऐसा कोई मंत्री, जो अपनी चीज वस्तु विमान द्वारा ले जाय अधिकतम 224 किलोग्राम के अध्यधीन रहते हुए उस रकम की जोकि भू-मार्ग द्वारा उसी मात्रा को ले जाने पर उसे अनुज्ञेय होती, सीमा तक वास्तविक व्यय वसूल कर सकेगा.

(तीन) एक दिन में की गई किसी विमान यात्रा के दोनों ओर सड़क से संबंद्ध समस्त ऐसी यात्राओं के लिये, जो विमान यात्रा का भाग न हो या जिन्हें विमान भाड़े में सम्मिलित न किया गया हो, इन नियमों के अधीन दैनिक भत्तें की सीमा तक विहित दर से मील भत्ता पाने के लिये हकदार होगा.

*सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. 4348-3165-एक(i), दिनांक 2 जुलाई, 1976 द्वारा स्थापित.

** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. 1661-1470-एक(i) 81, दिनांक 4 जुलाई, 1981 द्वारा शब्द, अंक तथा कोष्टक "रु. 31 (इक्तीस)" के स्थान पर स्थापित.

*** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. 1661-1470-एक(i) 81, दिनांक दिनांक 4 जुलाई, 1981 द्वारा शब्द, अंक तथा कोष्टक "रु. 40 (चालीस)" के स्थान पर स्थापित.

(2) शासकीय कारण से विमान द्वारा की जाने वाली यात्रा रद्द किये जाने पर, कोई मंत्री, विमान यात्रा के रद्द किये जाने के कारण हवाई परिवहन कम्पनी द्वारा की गई शुद्ध कटौतियों की शासन द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु हकदार होगा.

(3) ऐसे आनुषंगिक प्रभारों के लिये हकदार होगा जो कि "अ" ग्रेड पदाधिकारियों की अनुज्ञेय हों.

11. यदि किसी मंत्री की शासकीय विमान द्वारा या शासन द्वारा भाड़े पर लिये गये विमान द्वारा निःशुल्क यात्रा करने हेतु अनुज्ञात किया जाय और उसे स्वंय के खर्चे पर उसके सेवक या संभार हेतु कोई पृथक प्रवहण की व्यवस्था न करना पड़े, तो वह उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा तथा उसे मील भत्ते के रूप में नहीं बदलेगा. तथापि, यदि यात्रा का कोई भाग गमनागमन के अन्य साधन द्वारा किया जाय, तो वह उसके विकल्प पर दैनिक भत्ते के बदले में उस भाग के लिये अनुज्ञेय मील भत्ता प्राप्त कर सकेगा.

12. (1) भारत के बाहर कर्त्तव्य पर अग्रसर होने वाला कोई मंत्री निम्नलिखित प्राप्त करने के लिये हकदार होगा .--

(एक) भारत से परिदर्शन के स्थान तक तथा वापसी यात्रा के लिये एक भाड़ा;

(दो) भारत सरकार के नियमों के अधीन तत्स्थानी ग्रेड के पदाधिकारियों की अनुज्ञेय दरों से दैनिक भत्ता तथा भोजन एवं निवास पर किया गया वास्तविक व्यय;

(तीन) इनाम, उपदान तथा शासकीय सत्कार पर, जहां कहीं वह आवश्यक हो, किया गया वास्तविक व्यय; और

(चार) शासकीय कर्त्तव्य पर उपगत आनुषंगिक व्यय जैसे टैक्सी भाड़ा गाड़ी, (केब) भाड़ा आदि.

(2) उपखण्ड (दो) के अधीन भोजन तथा निवास पर किये गये वास्तविक व्यय, ऊपर उपखण्ड (तीन) तथा (चार) के अधीन व्यय के दावों का समर्थन संयुक्त राज्य (युनाईटेड किंगडम) में के उच्चायुक्त द्वारा या संबंधित देश के भारतीय दूत मण्डल के प्रमुख द्वारा या इस संबंध में उच्चायुक्त या दूत मंडल के प्रमुख द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा या उस प्रतिनिधि मण्डल के नेता द्वारा, जिसका कि मंत्री सदस्य हों, प्रत्येक यात्रा भत्ता देयक पर अभिलिखित किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र द्वारा किया जायेगा कि उसका यह समाधान हो गया हे कि खर्च वास्तव में किया गया और वह ऐसी लोक सेवा के हित में था, जिसके कि कारण यात्रा करनी पड़ी और यह कि व्यय प्रचलित दरों के अनुसार है.

13. जबकि कोई मंत्री भारत के बाहर किसी यात्रा पर अग्रसर हो रहा हो, तो उसे अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा उसकी यात्रा पूरी हो जाने पर ऐसी रीति में जैसी कि राज्य शासन प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में आदेश द्वारा अवधारित करे, समायोजन के अध्यधीन रहते हुए अग्रिम की मंजूरी उतनी रकम तक, जो उसके वैयक्तिक यात्रा व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त हों, राज्य शासन के विवेक पर की जा सकेगी. अग्रिम स्वाभाविक रूप से मंजूर नहीं किया जायेगा किन्तु केवल ऐसे अवसरों

पर मंजूर किया जायेगा जब कि यात्रा व्यय इतना अत्याधिक हो कि जिससे मंत्री के प्रायवेट स्त्रोतों पर अत्यधिक भार पड़े.

14. कोई मंत्री निम्नलिखित के संबंध में स्वंय के लिये यात्रा भत्ता इन नियमों के अनुसार प्राप्त करने के हेतु हकदार होगा.

(एक) भोपाल से बाहर उसके सामान्य निवास स्थान से पदभार ग्रहण किये जाने हेतु भोपाल तक यात्रा के संबंध में ; और

(दो) पदमुक्त होने पर भोपाल के बाहर स्थित उसके सामान्य निवास स्थान तक की यात्रा के संबंध में, ऐसे अवसरों पर वह इसके अतिरिक्त उस वर्ग का एक अतिरिक्त, भाड़ा, जिससे कि यात्रा करने के लिये वह हकदार हो, उसके कुटुम्ब के (फण्डामेण्टल रूल्स में परिभाषित किये गये अनुसार), ऐसे प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिये, जो उसके साथ हो तथा जिसके कि लिये उस वर्ग का पूरा भाड़ा वास्तविक रूप से भुगतान किया हो और प्रत्येक बालक के लिये आधा भाड़ा जिसके कि संबंध में ऐसे भाड़े का वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो तथा उसको और उसके कुंटुंब को 48 क्विंटल तक चीज वस्तु के परिवहन प्रभार प्राप्त करने के लिये हकदार होगा.

टिप्पणी.-- उपर दिये गये नियम के अधीन किसी मंत्री के लिए अनुज्ञेय संभार, प्रभार, संभार का परिवहन रेल द्वारा किये जाने के मामले में, फण्डामेण्टल रूल्स, जिल्द-दो के परिशिष्ट पांच के सप्लीमेण्टरी रूल 81 सी (1) तथा तद्धीन दिये गये टिप्पणी के अनुसार और सड़क द्वारा संभार का परिवहन किये जाने के मामले में सप्लीमेण्टरी रूल्स 81 (सी) (2) तथा तद्धीन दिये गये टिप्पणी के अनुसार विनियमित होंगे.

15. मुख्यमंत्री की मृत्यु या उसके द्वारा पदत्याग किये जाने के परिणामस्वरूप मंत्री परिषद् के विघटन की दशा में ऐसा कोई मंत्री जो कि कर्त्तव्य पर यात्रा करते हुए मुख्यालय से बाहर हो, मुख्यालय तक अपनी वापसी यात्रा के लिये उन्हीं यात्रा तथा अन्य भत्तों के लिये हकदार होगा, जो कि उसे मंत्री परिषद् के विघटन के ठीक पूर्व इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय हों.

16. मध्यप्रदेश मिनिस्टर्स एण्ड डेप्यूटी मिनिस्टर्स (ट्रेवलिंग एण्ड डेली अलाउन्सेज) रूल्स, 1957 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही जब तक कि ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्हीं भी उपबंधों से असंगत न हों, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्री बी.जे. हीरजी, विशेष सचिव.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL, ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, the 31st December 1964--Pausa 10, 1886.

No. 5109-1949-I(I).--In exercise of the powers conferred by section 11, read with section 4 of the Madhya Pradesh Salaries and Allowance of Ministers Act, 1956 (V of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :-

- RULES -

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Minister's (Residences) Rules, 1964.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definitions.-- In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Salaries and Allowances of Ministers Act, 1956;

(b) "Executive Engineer" means the Executive Engineer incharge of the division in which a residence is situated;

(c) "Minister" means a member of the Council of Ministers and includes a Minister of State, a Deputy Minister and Parliamentary Secretary;

(d) "Residence" means a residence provided to a Minister under Section 4 of the Act;

(e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

3. Scale of furniture.--(1) Every residence shall be initially furnished with furniture; and other articles as per scale given in Schedule I, and the total expenditure on this Account shall not exceed rupees twenty thousand in the case of a residence allotted to a Minister an rupees sixteen thousand in the case of a residence allotted to Minister of State or a Deputy Minister and rupees ten thousand in the case of a residence allotted to a Parliamentary Secretary :

Provided that this limit may, in special circumstances, be exceeded with the prior sanction of the Chief Minister :

Provided further that in the case of Parliamentary Secretary, the residence shall be initially furnished with furniture and other articles at the scale as may from time to time, be determined by the Government in this behalf.

NOTE .-- The maximum monetary limit specified above for furnishing the residence shall only be applicable to cases where furnishing is necessary in furture. An existing residence already furnished shall continue to be so, till the Government in the Home Department on the advice of the Public Works Department decides that its refurnishing is necessary. When any item of furniture or any other article is worn out or damaged due to normal wear and tear replacement may be made by an article of similar type.

(2) Whenever, a deviation from the scale, given in Schedule I, is necessary to suit a particular residence and/or to meet the wishes of the Minister, such deviation shall be permitted by the Government in the Home Department provided that the maximum monetary limit specified in sub-ruled (1) is not exceeded in any case.

(3) For every article of furniture supplied to a residence to meet an emergent need for a short period, in excess of the scale specified in Schedule I, a rent for the period of use at Rs. 1 per cent p.m. of the value of the article shall be charged.

4. Renewal and replacement of furniture.--(1) Renewal or replacement of nay article supplied to the residence of a Minister under rule 3, may be made when Government in the Public Works Department is satisifed, that a particular piece of furniture or any other article has become unserviceable, due to dameage or normal wear and tear.

(2) If any piece of furniture or any other article supplied to the residence of a Minister under Rule 3, is damaged or lost (a) otherwise than by reason of normal wear and tear, or (b) by reason of avoidable curcumstances, the loss to Government, as may be assessed, shall be made good by the Minister himself. The authority to decide whether or not a particular article has been damaged (a) other than by reason of normal wear and tear, or (b) by reason of avoidable circumstances will be the Public Works Department in such case.

5. Physical verification of furniture. etc.--(1) The articles supplied to the residence shall be physically verified by the Executive Engineer at least once in a year.

(2) When a Minister vacates the residence provided to him the Executive Engineer shall physically varify the articles supplied to the residence under rule 3 and 4.

6. Maintenance.--(1) Additions, alterations or modifications of such nature as will not come within the purview of normal repairs shall not be permitted, except with the prior approval of the Home Department and the Finance Department.

(2) The Public Works Department shall carry out necessary repairs, to the residence, the annual expenditure on which shall not exceed the limits prescribed for Class I Government buildings for this purpose.

(3) The Public Works Department shall also carry out necessary repairs, polishing and varnishing of the furniture and washing of carpets and screens, provided that the annual expenditure on this account shall not exceed the monetary limit specified in Schedule II. (3-a) Average monthly expenditure on maintenance of garden including water charges but excluding the pay of gardener provided under Sub-Rule 6 shall not exceed Rs. 300.

(4) (a) Separate meters shall be installed in each residence for as certaining the m onthly consumption of electricity and water--

(i) for domestic use of a Minister;

(ii) for garden, office and security measures; and

(iii) in each of the staff quarters occupied by a Government servant.

(b) Monthly bills in respect of item (1) of clause (a) shall, in the first instance, be paid by Goivernment in full. Any amount in excess of Rs. 400 in case of the Chief Minister and Rs. 200 in case of Minister shall then be recovered from the Chief Minister/Minister concerned and credited to Government account.

NOTE .-- This provision will apply with effect from the date of fixing of separate meters at the residence of Ministers.

(c) The bills in respect of item (ii) and (iii) of clause (a) shall be paid by Government in full except to the extent indicated in clause (d).

(d) Private Secretary to the Minister and Class III Government servant's occupying staff quarters shall bear fifty per cent of the electricity charge in respect of the electricity consumed by them in their resective quarters.

(5) The actual municpal taxes in respect of the residence shall be paid by Government.

(6) Government shall entertain one Chowkidar, one Farrash, one sweeper and one gardener for residence provided to a Minister.

SCHEDULE--1

[See Rule 3 (1)]

LIST "A"

Standard list of Furniture and furnishings for Ministers/Ministers of State and Deputy Ministers, Bungalow :-

Serial No	Description of article of furniture etc.	Minister	Minister of State/Deputy Minister
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Almirah with mirror	1	1
2.	Almirah without mirror	3	3
3.	Almirah small	1	1
4.	Bath Grating Wooden	4	3
5.	Bath tube G.I.	4	3
6.	Bed Coir Charpay	4	4
7.	Bed niwar or spring wooden	8	6
8.	Bed Sheets	16	12
9.	Bench garden	1	1
10.	Book Shelf (case)	1	1
11.	Bucket brass	2	2
12.	Bucket G.I.	4	3
13.	Carpet	For drawing, bed and dining rooms	
14.	Chairs with arm	10	8
15.	Chairs dining armless	12	12
16.	Chairs half easy	10	8
17.	Chest of drawer (big size)	1	1
18.	Clock	1	1
19.	Covers for bed pillows	32	24
20.	Curtains for doors	For doors in drawing, bed dining and dressing rooms	
21.	Curtains for windows	For all rooms mentioned above	
22.	Desk writing (ladies)	1	1
23.	Drums for provision of different sizes	4	4
24.	Drums small	4	3
25.	English dinner service set with spoons, forks and knives	1 set	1 set
26.	Flower vase	2	2
27.	Galicha	For drawing room	For drawingroom

28. Gund brass with cover	2	2
29. Matterssas cotton	8	6
30. Milk safe	2	2
31. Mosquito attachments with nets	8	6
32. Mugs enamelled	4	3
33. Miscellaneous kitchen requirements	1 set	1 set
34. Pillows bed	16	12
35. Photos of National Leaders	1 set	1 set
36. Rugs for beds	4	3
37. Side board	1	1
38. Soap tray and soap cases	8	6
39. Sofa set cane with cushions consisting of 2 single and 1 double Sofa.	1 set	1 set
40. Sofa set spring as above	1 set	1 set
41. Stools	2	2
42. Stools ordinary	4	3
43. Table centre and side talbes	1 set	1 set
44. Table cloth dining	4	4
45. Table dining (extending)	(For 12 persons)	(For 12 persons)
46. Table (dressing with mirror)	1	1
47. Table ordinary (writing)	4	3
48. Table Spare	1	1
49. Takhat Woodr with cotton gaddi and two round pillows (gaddi and pillows with two covers each)	1 set	1 set
50. Tea-poy	4	3
51. Tea service set (of 6 person)	2	2
52. Towel bath (Turkish)	12	9
53. Towel rack	4	3
54. Towel coarse	8	8
55. Wash basin	4	3

Electrical Appliances

1. Electric Heater	1	1
2. Electric Iron	1	1
3. Electric Kettle	1	1
4. Refrigerator	1 When demanded	1 When demanded
5. Radio (receiver set)	1	1
6. Table fans	3	2
7. Table lamps	3	2
8. Air Cooler	1	1

List 'B'

Standard list of furniture and furnishings for Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers Office :-

Serial No.	Item	Minister	Minister of State/ Deputy Minister
(1)	(2)	(3)	(4)

Office and Visitor's Room

Item	Minister	Minister of State/ Deputy Minister
1. Almirah	3	2
2. Benches	2	2
3. Carpet	1	1
4. Cane chairs	4	4
5. Chairs	4	4
6. Chairs revolving	1	1
7. Chairs for table	4	4
8. Cahirs half easy	2	2
9. Chicks	For all doors and windows of office rooms of Minister/Minister of State/ Deputy Minister and his personal staff.	
10. Door mats	For all doors in office rooms	
11. Durries	2	2
12. Racks	3	3
13. Table office for Minister	1	1
14. Table writing for Private Secy./Personal Asstt.	1	1
15. Table writing for staff	1	1
16. Table typist`	1	1
17. Table centre	1	1
18. Table side	1	1
19. Waster paper basket	4	4
20. Air Cooler	1	1

LIST "C"

Miscellaneous Kitchen Set

	Minister/Ministers of State Deputy Minister
1. Basin enamel	1
2. Electric Sigri	1
3. Electric Toaster	1
4. Gunj brass with cover	2
5. Gunj brass with handle	2
6. Grinding stone	1
7. Hot case	1
8. Indian sytle dinner service set stainless steel Gunj with cover	4
Katories	36
Lotas	6
Spoons	24
Thalies	12
Tumblers drinkings	12
9. Iron Sansi	1
10. Iron Sigri	2
11. Iron tongs	1
12. Iron tawa	1
13. Jhara alluminium and brass	2(one of each)
14. Kettle brass	2
15. Ladle brass	5
16. Lotas brass	6
17. Milk can for 3 seers and 1 1/2 seers	1 each
18. Mortar and pestle iron	1
19. Mug brass	2
20. Parat brass	1
21. Peedas	24
22. Saltpepper set	1
23. Trays brass	2
24. Trays wooden	2
25. Tifin carriers	1
26. Water flask	1

SCHEDULE II

[See rule 6 (3)]

	Chief Minister	Minister	Minister of State/Dy. Minister/Parliamentary Secretary
(1)	(2)	(3)	(4)

Cost of replacement, repairs, varnishing and Rs. 1,500 p.a. Rs.1,000 p.a. Rs. 800 p.a. washing of furniture and furnishings.

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972
(क्रमांक 25 सन् 1972) में समय-समय पर आये संशोधनों का सार

धारा 3 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 3 में, शब्द "सात सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ सौ पचास रुपये" स्थापित किये जाय

(2) वर्ष 1981 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात् :-		धारा 3 का संशोधन
"3. प्रत्येक मंत्री को एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिमास वेतन, प्रत्येक राज्य मंत्री को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास वेतन, प्रत्येक उप मंत्री को एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमास वेतन और प्रत्येक संसदीय सचिव को एक हजार एक सौ रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायगा."		धारा 3 के स्थान पर नवीन धारा का स्थापन.

(3) वर्ष 1987 में क्रमांक 7 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :- "3. प्रत्येक मंत्री को दो हजार रुपये प्रतिमास वेतन, प्रत्येक राज्य मंत्री को एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिमास वेतन, प्रत्येक उप मंत्री को एक हजार पांच सौ पचास रुपये प्रतिमास वेतन और प्रत्येक संसदीय सचिव को एक हजार, तीन सौ, पचास रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायगा."		मंत्रियों, राज्यमंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन

(4) वर्ष 1988 में क्रमांक 12 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को एक हजार रुपये प्रति मास वेतन दिया जाएगा."

(5) वर्ष 1997 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ" स्थापित किए जांए.

(6) वर्ष 2001 में क्रमांक 27 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात :-
“3. प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को चार हजार रूपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा”

(7) वर्ष 2008 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात :-
“3. प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को नौ हजार रूपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा”

(8) वर्ष 2010 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात :-
“3. मुख्यमंत्री को तीस हजार रूपये प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रूपये, राज्यमंत्री को पच्चीस तथा उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को बीस हजार रूपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा”

धारा ‘4‘ का संशोधन

(1) वर्ष 1983 में क्रमांक 7 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 4 में, शब्द "प्रत्येक उप मंत्री को" के पश्चात् शब्द "और प्रत्येक संसदीय सचिव को" स्थापित किए जांए.

(2) वर्ष 1987 में क्रमांक 7 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"4. मुख्यमंत्री को एक हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता (सम्पच्युअरी अलाउन्स), प्रत्येक मंत्री को सात सौ, पचास रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता प्रत्येक राज्य मंत्री को सात सौ रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता तथा प्रत्येक उपमंत्री और प्रत्येक संसदीय सचिव को छह सौ, पचास रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा. "

(3) वर्ष 1988 में क्रमांक 12 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"4. (1) मुख्यमंत्री को एक हजार चार सौ रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता, प्रत्येक मंत्री को एक हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता, प्रत्येक राज्यमंत्री को पांच सौ रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता और प्रत्येक उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को तीन सौ रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(2) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र-भत्ता दिया जाएगा.

(3) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान पचहत्तर रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा. "

(4) वर्ष 1992 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

(1) मुख्यमंत्री को दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक मंत्री को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक राज्यमंत्री को सात सौ पचास रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता और प्रत्येक उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को तीन सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(2) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को तीन हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र-भत्ता दिया जाएगा.

(3) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान एक सौ पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा. "

(5) वर्ष 1997 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

" 4. (1) मुख्यमंत्री को पांच हजार रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक मंत्री को दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक राज्यमंत्री को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता और प्रत्येक उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(2) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को तीन हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र-भत्ता दिया जाएगा.

(3) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा. "

(6) वर्ष 2001 में क्रमांक 27 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय अर्थात :-

''4. (1) मुख्यमंत्री को पन्द्रह हजार रूपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक मंत्री को आठ हजार रूपये सत्कार भत्ता, प्रत्येक राज्यमंत्री को पांच हजार रूपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता और प्रत्येक उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को एक हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जायेगा.

(2) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को आठ हजार रूपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

(3) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान पांचसौ रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा''

(6) वर्ष 2008 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"(1) मुख्यमंत्री को सोलह हजार रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, (सम्पच्युअरी अलाउन्स), प्रत्येक मंत्री को नौ हजार रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक राज्यमंत्री को छह हजार रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, तथा प्रत्येक उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, दिया जायेगा.

(2) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को बारह हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.".

* " 4. (1) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को अठारह हजार रूपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जायेगा।		

(2) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को सत्रह हजार रूपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा।

(3) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर सात सौ पचास रूपये तथा राज्य के बाहर नौ सौ रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

धारा "6" का संशोधन

(1) वर्ष 1981 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 6 की उपधारा (2) में, शब्द "एक मोटर चालक (शोफर) " के स्थान पर शब्द "दो मोटर चालक (शोफर) " स्थापित किए जायं और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे 16 जुलाई, 1980 से प्रतिस्थापित किये गये हैं.

धारा "7" का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 45 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात :-

"7. (1) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्यमंत्री, कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव और यथास्थिति मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के कुटुम्ब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर, निःशुल्क, प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुम्ब के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (क्रमांक 61 सन् 1951) के अधीन समय-समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती हैं.

(2) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्यमंत्री, कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव, जबकि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो कि उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी निःशुल्क हकदार होगा जो कि उस स्थान पर भारत मिशन (इंडिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो.'.

(2) वर्ष 1983 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन

3. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 7 में,		धारा 7 का संशोधन

(क) उपधारा (1) को उसकी उपधारा (1-क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1-क) के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात :-

" (1) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उप-मंत्री तथा संसदीय सचिव को प्रतिमास पांच सौ रुपये का चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा." ;

(ख) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1-क) में, प्रथम बार आने वाले शब्द "कोई भी मंत्री, कोई भी राज्यमंत्री, कोई भी उप-मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त, कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप-मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव" स्थापित किए जाएं ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात :-

"स्पष्टीकरण.-- इस धारा में "चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अन्तर्वासी रोगी के रुप में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार. " ;

(घ) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात :-

"मंत्रियों, राज्यमंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के लिए चिकित्सा भत्ता, चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार. "

धारा 7 का संशोधन

(3) वर्ष 1988 में क्रमांक 12 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई मंत्री, कोई राज्यमंत्री, कोई उपमंत्री और कोई संसदीय सचिव और यथास्थिति मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के कुटुम्ब के सदस्य, जो उस पर आश्रित हों, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिकित्सालयों में स्थान निःशुल्क प्राप्त करने के तथा चिकित्सीय परिचर्या और उपचार निःशुल्क प्राप्त करने के भी हकदार होंगे. "

(4) वर्ष 1989 में क्रमांक 11 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"7. (1) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्यमंत्री, कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव और यथास्थिति मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के कुटुम्ब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर, निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुम्ब के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम,1951 (1951 का सं. 61) के अधीन समय-समय पर बनाए गए चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती हैं. ".

(2) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उपमंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव, जब कि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी निःशुल्क हकदार होगा जो उस स्थान पर भारत मिशन (इंडिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो.".

धारा 9 - क का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 45 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् अन्तःस्थापित की जा रही निम्नलिखित धारा के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायगा कि वह 1 अप्रैल सन् 1974 से अन्तःस्थापित की गई है, अर्थात :-

"9-क. (क) इस अधिनियम के अधीन किसी भी मंत्री, किसी भी राज्य मंत्री, किसी भी उपमंत्री तथा किसी भी संसदीय सचिव को देय समस्त भत्तों की बाबत् ; और		नवीन धारा 9-क का अन्तःस्थापन
(ख) किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास-स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत् जो किसी भी मंत्री, किसी भी राज्य मंत्री, किसी भी उपमंत्री तथा किसी भी संसदीय सचिव को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है ;		भत्तों तथा परिलब्धियों में से आयकर लिया जायेगा.

यथास्थिति किसी भी मंत्री, किसी भी राज्य मंत्री, किसी भी उपमंत्री या किसी भी संसदीय सचिव से आय-कर नहीं लिया जायगा तथा वह आय-कर राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार देय होगा मानों कि यथास्थिति उस मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव को उपर्युक्त मदों से प्रोद्भूत होने वाली आय ही आय-कर अधिनियम, 1961 (क्रमांक 43 सन् 1961) के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव की एकमात्र आय हो.'.

(2) वर्ष 1997 में क्रमांक 31 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 9-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये और उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह तारीख 1 अप्रैल, 1994 से स्थापित की गई है, अर्थात् :-

"9-क. इस अधिनियम के अधीन किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री तथा किसी संसदीय सचिव को देय समस्त भत्तों की बावत् और किराए का भुगतान किए बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बावत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बावत् जो किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय हैं, यथास्थिति किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव से आय-कर नहीं लिया जाएगा और वह आय-कर यथास्थिति किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को देय उक्त भत्तों तथा परिलब्धियों से प्रोद्भूत आय की कुल रकम में से, समय-समय पर अनुज्ञेय आय-कर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हों, घटाई नहीं जाएंगी.'.

मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम (25 of 72)

की धाराओं में आये संशोधन

(1) 45 of 1976	धारा - 7,9क
(2) 15 of 1978	धारा - 3
(3) 23 of 1981	धारा - 3
(4) 17 of 1981	धारा - 6
(5) 7 of 1983	धारा - 4
(6) 24 of 1983	धारा - 7
(7) 7 of 1987	धारा - 3,4
(8) 12 of 1988	धारा - 3,4,7
(9) 11 of 1989	धारा - 7
(10) 19 of 1992	धारा - 4
(11) 25 of 1997	धारा - 3,4
(12) 31 of 1997	धारा - 9 क
(13) 27 of 2001	धारा - 3,4
(14) 24 of 2008	धारा - 3,4
(15) 19 of 2010	धारा - 3,4

[published in "Extraordinary Gazette" of Madhya Pradesh dated the 31st march, 1973.]

Bhopal, the 12th January 1973-Pausha 22, 1894

No. 347-8-I-(i).--In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 9 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) the State Government hereby makes the following rules for the Payment of travelling and daily allowances to Ministers, namely :-

RULES

1. These rules may be called the Madhya Pradesh Ministers (Travelling and daily Allowances) Rules, 1972.

2. Definition.--In these rules "Minister" means a member of the Council of Ministers and includes a Minister of State, A deputy Minister and a Parliamentary Secretary.

3. Under these rules, travelling allowances shall be admissible for such journeys as may be performed in the public interest only. The journeys must have been necessitated by duties which can not be preformed from the headquarters.

NOTE :--Performance of normal duties by a Minister at a place away from his headquarter to which he may proceed purely for personal reasons shall not be sufficient to entitle him to draw travelling allowance.

4. (i) A Minister when travelling on duty by the railway is entitled withaout payment to reserve by high official requistion a coupe in the first class compartment or in the air conditioned coach.

(ii) Take with him in the reserved accommodation one relative subject to the authorise capacity of the reserved accommodation; this concession is a admissible even if a Minister travels in a first class compartment.

(iii) Accommodation at the lowest class for one personal servant

and carriage of luggage up to 5 quintals whether carried in the luggage van of the train or sent by any other train.

Freight charges for goods or stores other than those mentioned in clause (iii) [of sub-rule (1)] shall be met by Minister himself.

When the journey is preformed under clause (i) of [sub-rule (1)], a Minister is entitled to incidental charges as admissible to "A" grade officers and the charges for reservation of accommodation shall be paid by Government ;

Provided that where a Minister travels by taking otherwise than on high official requisition a single berth in an ordinary first class compartment or in an air conditioned coach, he may draw the actual fare paid plus incidental charges as administrable to "A" grade Officers.

5. (1) A Minister when travelling on duty by road is entitled to --

(i) draw daily allowances at the rates specified in rule 7 when the journey is performed in the motor vehicles provided to him under section 6 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972. The running expenses of the car will be borne by Government;

(ii) recover the actual cost of conveyance by road or rail of one personal servant and personal luggage up to five quintals.

(2) When a Minister travels on duty by road within the territories administered by another State Government and the joureny is under taken in a hired conveyance he shall be entitled to draw travelling allowance at the rate of 32 paisa per Kilometer.

(3) If for any reason a Minister finds it necessary in the public interest to use a departmental car, he shall be entitled to draw the daily allowance at the rate specified in rule 7 and the running expenses of the car will be borne by the Government.

6. If in exceptional circumstances, a Minister finds it necessary to send his car empty by rail or road from one place to another in the exigency of the public service, he shall be entitled to charge the actual expenditure incurred on sending the car by rail or the actual cost of propulsion of the car for the distance it is actually sent empty by road.

*7. Subject to the conditions laid down in supplementary rules 48 to 53 in Appendix V to Fundamental Rules Volume II, a Minister is entitled to draw daily allowance at the rate of**[Rs. 51 (Fifty one)] per diem, inside the State :

Provided that when on tour outside the State he shall be entitled to draw daily allowance at the rate of ***[Rs. 60 (Sixty)] per diem :

Provided further that when on tour outside the State or on deputation a broad, he is treated as a State Guest and provided free boarding and lodging at the expense of the Government of the State/Union or Country visited, the daily allowance drawn will be limited to one half of what is admissible to him at concerned place.

8. A Minister may exchange his daily allowance for mileage allowance when the conditions laid down in supplementary rule 55 in Appendix V to the Madhya Pradesh Fundamental Rules, Volume II are fulfilled.

9. A Minister shall be entitled to the concession of the drawal of half daily allowance admissible under supplementary rule 55-A in Appendix V to the Madhya Pradesh Fundamental Rules, Volume II.

10. (1) A Minister when travelling by air is entitled to --

(i) the actual fare paid for the air journey save when such journey is performed under the credit voucher exchange order system applicable to commercial Airlines. In the latter case, the charges shall be paid by Government ;

(ii) The actual railwayfare by the lowest class of one personal servant with free carriage by rail, of personal luggage upto 224Kg., provided that a Minister who carries his personal effects by air, may, subject to the maximum of 224 Kg. recover actual expenses upto the limit of the amount which would have been admissible had he taken the same quantity by the surface route ;

(iii) for all connected journeys by road at either end on an air journey on single day not forming part of the air journey or included in the air fare, mileage allowance at the prescribed rate limited to daily allowance admissible under these rules.

(2) On the cancellation of journey by air due to official reason a Minister shall be entitled to be reimbursed by Government that net deduction made by the Air Transport Company on cancellation of the air passage.

(3) Incidental charges as adminssible to "A" grade officers.

11. If a Minister is allowed free transit by air in a Government machine or in a machine chartered by Government and has not to provide a separate conveyance at his own expense for his servants or luggage he may draw the daily allowance admissible to him and not exchange it for milage allowance. if, however, a part of the journey is made by other means of locomotion, he may at his option draw in lieu of the daily allowance the mileage allowance admissible for that part.

----

*Substituted by G. A. D. Notification No. 4348-3165-I(i), dated 2nd July 1976.

**Substituted by G. A. D. Notification No.1661-1470-(1)-81, dated the 4th July, 1981. for the words, figures and brackets "Rs. 31 (Thirty One)".

***Substituted by G. A. D. Notification No.1661-1470-I (i)-81, dated the 4th July, 1981. for the words, figures and brackets "Rs. 40 (Forty)"

12. (1) A Minister proceeding on duty outside India is entitled to draw the following :--

(i) Single fare for the journey from India to the place of visit and back ;

(ii) daily allowance at the rates admissible to officers of corresponding grades under the Government of India rules or actual expenses on boarding and lodging ;

(iii) actual expenditure on trips, gratuities and official enetrtainments where necessary ; and

(iv) incidental expense such as taxi-hire, bab-hire, etc. incurred on official duty.

(2) Claim for actual expenses on board and lodging under sub-clause (ii) for expenses under sub-clauses (iii) and (iv) above, shall be supported by a certificate recorded on each travelling allowance bill by the High Commissioner in the United Kingdom or by the Head of the Indian Mission in the country concerned, or by an officer authorised by the High Comissioner or the Head of the Mission in this behalf, or by the leader of the Delegation of which the Minister happens to be a member, to the effect that he has satisfied himself that the expenditure was actually incurred and was in the interest of public service which occasioned the journey and that the expenses are in accrodance which the prevailing rates.

13. An advance may be granted to a Minister when he is proceeding on a journey outside India. The advance may be granted at the discretion of the State Government upto an amount sufficient to cover his personal travelling expenses subject to adjustment on completion of his tour in such manner as the State government may in each individual case by order determine. An advance shall not be granted as matter of course but only on occasions when the cost of travelling is so heavy as to be a seriour burden on the Minister's private resources.

14. A Minister shall be entitled to travelling allowance for himself in accordance with these rules :

(i) in respect of the journey to Bhopal from his usual place of residence out of Bhopal for assuming office ; and

(ii) in respect of the journey from Bhopal to his usual place of residence out of Bhopal on relinquishing office.

On such occassions he shall also, in addition, be entitled to extra single fare of the class by which he is entitled to travel for each adult member of his family (as defined in Fundamental Rules) who accompanies him and for whom full fare of that class is actually paid and one half fare of each child for whom such fare is actually paid and transportation charges of his and his family's effects up to 48 quintals.

NOTE .-- The luggage charges admissible to a Minister under the above rule shall be regulated in accordance with the rates prescrited in S.R. 81-C(1) and the rotes there under in Appendix V to Fundamental Rules, Volume II, in case the luggage is transported by rail, and in S.R. 81-C (2) and the notes there under in case the luggage is transported by road.

15. In the event of dissolution of the Council of Ministers consequent on the death or remitting of office by the Chief Minister, a Minister who is away from Headquarter on tour on duty, shall be entitled, for return journey to the Headquarter to the same travelling and other allowances as admissible to him under these rules immediately before the dissolution of the Council of Minister.

16. The Madhya Pradesh Minister (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957 are hereby repealed :

Provided that anything done or any action under the rules so repealed shall, unless such thing done or action taken is inconsistent with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

Shri B.J. Heerji, Special Sec.

Bhopal, the 6th September 1974.

No. 7961-4266-I(i).--In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 11 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (25 of 1972), the State Government hereby makes the following rules for regulating the purchase and maintenance of conveyances for Ministers, namely :-

RULES

1. These rules may be called the Madhya Pradesh Ministers (Purchase and Maintenance of Conveyances) Rules, 1974.

2. In these rules--

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (25 of 1972);

(b) "Minister" means a member of the Council of Ministers and also includes a Minister of State, Deputy Minister and a Parliamentary Secretary.

3. The State Government shall provide to each Minister a Motor Car for his use. *[..........] The Car shall be of such make and of such model as the State Government may, in each case, consider suitable.

4. The car with its accessories shall remain the property of the State Government. When a Minister relinquishes his office, his car with its accessories shall be returned to the State Government or to such officer as may be nominated by the State Government in this behalf.

5. No car shall ordinarily be replaced unless it has completed five years of service or has run a total distance of 1,20,000 kilo meters in the case of a car above 20 horse power and 80,000 Kilo meters in the case of car below 20 horse power; Provided that a motor car which becomes unserviceable due to any reason before it has completed five years of service or run a total distance as prescribed above, may be replaced after following the procedure determined by the Government, from time to time, for replacement of Government vechicles.

6. (1) Charges for the maintenance and upkeep of the car shall be borne by the State Government.

Note.--Maintenance and upkeep of a car includes pay of chauffeur, registration, insurnace fee including all taxes, all repairing charges including periodical servicing etc., and replacement of worn out parts including tyres and tubes.

(2) At the commencement of each month each Minister shall forward a certificate to an Office specified by the State Government in this behalf state the total quantity of motor fuel purchased by him during the month immediately preceding, for use for the journies permitted under section-6 of the Act.

7. The Madhya Pradesh Ministers and Deputy Ministers (Purchase and Maintenance of Conveyances) Rules, 1957 are hereby repealed;

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall, unless such thing done or action taken is incosistent with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

S.N. RAO, Spl. Secy.

*Omitted by Government of Madhya Pradesh General Administration Department Notification No. 1775/4774--1(i)79, dated 11th August, 1980.